छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 26 जुलाई, 2022 (श्रावण 4, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021–22 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक–2 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, प्रदेश में ठगी के मामलों में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले में जिला खनिज न्यास की राशि में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत शेड नेट हाउस एवं पैक हाउस निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़, वन मंडल अंतर्गत जुर्डा के रिजर्व फॉरेस्ट में तालाब के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायगढ़ जिले में ओ.पी. जिंदल इण्ड्रस्ट्रीयल पार्क/जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड द्वारा शासन के साथ किये गये अनुबंध का पालन नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, राजधानी रायपुर में महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत हितग्राहियों को दिये जाने वाले चांवल के वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में कोल माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कोयले का भण्डारण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री एवं हत्या व लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा श्रमिकों को श्रमिक कल्याण योजना का लाभ नहीं दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के हितों के लिये मंडलों द्वारा सामग्री क्रय नहीं किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कोरबा जिले की एस.ई.सी.एल. की खदानों से डीजल, कोयला और लोहा चोरी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले के विभिन्न स्कूलों में प्रायोगिक सामग्री की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, अकलतरा के ग्राम कोटमीसोनार में मगरमच्छ संरक्षण के लिये क्रोकोडायल पार्क का विस्तार कार्य नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में निजी स्कूल प्रबंधन/संचालकों द्वारा पालकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, प्रदेश में किसानों को स्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन प्राप्त नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश के नगरीय निकायों में सिटी बस सेवा का संचालन प्रारंभ नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(19) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, कोविड पीड़ितों को स्वास्थ्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंधित/चयनित डॉक्टर फॉर यू संस्था द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्य सम्मान निधि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरपदर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, भिलाई के बी.एस. पी.टी.ई.ई.डी. के घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली बिल में आधी छूट का लाभ नहीं मिलने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्रहित लघु वनोपज का विक्रय नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, सुकमा, कोंटा सहित सम्पूर्ण बस्तर में तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता खरीदी की राशि का वितरण नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) सर्वश्री ननकीराम कंवर, नारायण चंदेल, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, जांजगीर–चाम्पा जिले में भारत माला एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत खरौद में एक बालिका की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) डॉ. विनय कुमार जायसवाल सदस्य, मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा देवाडॉड में बैंक प्रबंधक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर पैसा आहरण किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में अंबूजा सीमेंट संयंत्र द्वारा कार्यरत अनेक कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, जिला जांजगीर–चाम्पा में तहसील न्यायालय नवागढ़ के द्वारा 07 लोगों के मकान तोड़े जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, ग्राम पाराघाट, बिलासपुर स्थित राशि स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(32) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में संचालित सीमेंट संयंत्रों द्वारा सी.एस.आर. की राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, पचपेड़ी क्षेत्र के चिल्हारी निवासी एक बंदी युवक की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के योजना / प्रबंध शाखा में बिना शासन की अनुमति के सामग्री खरीदी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखण्ड में ग्रामीणजनों के निस्तारी एवं मूलभूत सुविधा आदि कार्यों के लिये सुरक्षित जमीन को अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में भू–माफियाओं द्वारा आदिवासी कृषकों की भूमि क्रय कर सामान्य वर्ग के लोगों को विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम बुदबुदा की प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,

(ii) नगर पंचायत सरिया के वार्ड क्रमांक–7 में पूर्व माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम कुरमी में पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम धमनी में पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम परसदा के वार्ड–9 में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण करने,

(3) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम बागमोहलई के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) विकासखण्ड बकावण्ड में बालक–बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना करने,

(4) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा अंतर्गत –

(i) ग्राम सिल्वा की प्राथमिक शाला का पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम संजारी नवागांव के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने तथा

(5) डॉ. विनय कुमार जायसवाल, सदस्य, ग्राम जरौंधा, जिला–कोरिया से ग्राम सिर्री, जिला–कोरबा तक सड़क निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

क्रमशः 5

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

15 मिनट (1) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (3) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

6. शासकीय संकल्प

30 मिनट श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री,निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

''केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित ''वन (संरक्षण) नियम, 2022'' के द्वारा वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति के प्रावधानों को बदले जाने से उक्त नियम वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों को प्रभावित करेगा।

अतः यह सदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ''वन (संरक्षण) नियम, 2022'' से असहमति व्यक्त करते हुए वापस लेने की अनुशंसा करता है।''

क्रमशः 6

7. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में हाईब्रिड बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब खोले जायें।''

30 मिनट (2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''हसदेव क्षेत्र में आबंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जायें।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 25 जुलाई, 2022